झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्त विनियमन)

(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा -शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 को लागू करने के संबंध में एक संशोधन विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) यह अधिनियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-12 की उपधारा(1) का संशोधन :-

धारा-12 की उपधारा (1) में अभिव्यक्ति " नब्बे दिन" को अभिव्यक्ति " तीस दिन" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-12 की उपधारा (3) का संशोधन :-

धारा-12 की उपधारा (3) में अभिव्यक्ति " और साथ ही पचास रूपये से अधिक ऐसी फीस होगी" को विलुप्त किया जायेगा।

4. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-16 का विलोपन :-

धारा-16 की उपधारा (1) तथा (2) को विलोपित किया जायेगा।

5. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-17 का विलोपन :-

धारा-17 को विलोपित किया जायेगा।

6. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-22 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ग) का संशोधन :-

धारा-22 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ग) में अभिव्यक्ति " शर्तों पर" तथा " ऋण और अग्रिम" के मध्य " अनुदान", अंतर्स्थापित किये जायेंगे।

यह विधेयक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 24 जुलाई, 2019 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 जुलाई, 2019 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०)32—50—5-8-2019